UPMZ010112522017

न्यायालय Addl. Distt. and Sess. Judge, Court No-6, Muzaffarnagar

पीठासीन अधिकारी– (Smt. Jyoti Singh), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP01720**

<u>सत्र परीक्षण सं0–1400 सन् 2017</u>

उत्तर प्रदेश राज्य ....अभियोजन पक्ष।

बनाम

1– जुनैद पुत्र मेहरबान निवासी जड़ौदा थाना मंसूरपुर, जिला मुजफ्फरनगर।

2– नदीम पुत्र मुकीम सिद्दकी निवासी 318 अली भाई का मकान कुम्हार मौहल्ला चिराग दिल्ली थाना मालवीय नगर, दिल्ली। **(प्रथक)**

.................................अभियुक्तगण।

मु0 अ 0 सं0–146/2017
धारा–307 भा0 दं0 सं0
थाना–मन्सूरपुर, जिला मुजफ्फरनगर।

एवं

UPMZ010112202018

न्यायालय Addl. Distt. and Sess. Judge, Court No-6, Muzaffarnagar

पीठासीन अधिकारी– (Smt. Jyoti Singh), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP01720**

<u>सत्र परीक्षण सं0-1005/2018</u>

उत्तर प्रदेश राज्य ....अभियोजन पक्ष।

बनाम

1– जुनैद पुत्र मेहरबान निवासी जड़ौदा थाना मंसूरपुर, जिला मुजफ्फरनगर।

.... अभियुक्त।

मु0 अ 0 सं0–147/2017
धारा– 3/25 आयुध अधिनियम
थाना–मन्सूरपुर, जिला मुजफ्फरनगर।

Digitally signed by JYOTI SINGH
Date: 2026.08.13 16:52:57 IST
Reason: Judgement
Location: Add.District and Sessions
Judge, Court No.-06,MZN

निर्णय

1. अभियुक्त जुनैद पुत्र मेहरबान का विचारण इस न्यायालय द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 1400/2017, मु.अ.सं. 146/2017, अन्तर्गत धारा–307 भा0 दं0 सं0 एवं सत्र परीक्षण संख्या 1005/2018, मु.अ.सं. 147/2017 अन्तर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत अपराध हेतु किया गया। **अभियुक्त नदीम की पत्रावली दिनांक 09.12.2025 के आदेशानुसार पृथक की गयी। इस प्रकार हस्तगत पत्रावली में मात्र जुनैद का विचारण लंबित है।**

2. अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 13.02.17 को मै एस.आई. राकेश कुमार मय एस.आई. योगेन्द्र सिह, पी.सी. सुनील कुमार, कां. नवीन कुमार, कां. अंकुर मलिक, कां. विकास धामा, कां. विकास सिरोही, कां. विवेक कुमार, कां. जोशी राणा, कां. रोमिश तोमर मय का० ड्राईवर सुरेन्द्र राठी मय सरकारी गाडी टाटा सूमो गोल्ड नं0 UP32BG4148 व सरकारी मोटरसाईकिल सुपर स्पलैन्डर नं0 UP32BG2495 के STF कार्यालय मेरठ से रपट नं0 6 समय 13.00 बजे पर रवाना होकर तलाश वांछित व इनामी अपराधी मे मामूर होकर वहलना चौक जनपद मुजफ्फरनगर पर मौजूद थे कि समय लगभग 17.00 बजे मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि गांव जडौदा का 50 हजार का ईनामी बदमाश जुनैद मुजफ्फरनगर में कही रुका हुआ है जो कुछ समय में अपने किसी साथी से मिलने मन्सूरपुर से होता हुआ शाहपुर की तरफ जायेगा, इस सूचना पर विश्वास कर अपने साथ मौजूद समस्त पुलिस कर्मियों को इस सूचना से अवगत कराया व आपस मे एक दूसरे की जामा तलाशी ले देकर यकीन कर कि किसी के पास कोई नाजायज वस्तु नहीं है रास्ते मे आने जाने वाले व्यक्तियों से गवाही के लिये कहा गया तो भलाई बुराई व डर के कारण कोई गवाही के लिये तैयार नहीं हुआ मुखबिर को हमराह लेकर हमराह फोर्स के साथ मन्सूरपुर से शाहपुर की और जाने वाली सडक के मोड पर कस्बा मन्सूरपुर मे ही छिपकर खड़े हो गये कि कुछ देर इन्ताजार के पश्चात मुजफ्फरनगर की तरफ से एक मोटर साईकिल पर दो व्यक्ति आते दिखाई दिये, जिन्हे बिजली व आने जाने वाली गाडियो की रोशनी में मोटर साईकिल पर पीछे बैठे व्यक्ति को मुखबिर ने देखकर व पहचान कर बताया कि मोटर साईकिल पर पीछे की सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति कुख्यात बदमाश जुनैद निवासी जडौदा बैठा हुआ है तथा चला गया। हम पुलिस वाले मुखबिर द्वारा बताये गये दोनो व्यक्तियों का सरकारी गाडी एवं मोटर साईकिल से पीछा करने लगे तथा शाहपुर रोड पर बने मन्सूरपुर शुगर मिल के ट्रैक्टर ट्रक यार्ड के सामने मोटरसाईकिल को ओवर टैक कर कुछ दूर आगे रूककर गाडी से उतरकर आने वाली मोटर साईकिल को टार्च की रोशनी दिखाकर रूकने का इशारा किया तथा चिल्लाकर मुझ उपनिरीक्षक द्वारा पुलिस होने की बात कही गयी इस पर मोटर

साईकिल सवार बदमाशो ने ब्रेक लगाकर मोटर साईकिल मोडने का प्रयास किया परन्तु हडबडाहट मे मोटरसाईकिल वही पर गिर गई इस पर मोटर साईकिल पर पीछे बैठे व्यक्ति ने अपनी पैन्ट की अन्टी मे खुसा हुआ एक पिस्टल निकालकर हम पुलिस वालो को गाली देते हुए जान से मारने की नीयत से लगाकर 2 फायर किया, जिससे हम पुलिस वाले बाल 2 बचे तथा अपनी जान की परवाह न करते हुए दोनो बदमाशो को ललकारते हुए अदम साहस एवं शोर्य का परिचय देते हुए दोनो बदमाशों का वही घेर घोटकर आवश्यक बल प्रयोग कर यार्ड से 60 कदम शाहपुर की ओर सडक पर समय लगभग 19.30 बजे पकड लिया मोटर साईकिल पर पीछे बैठे बदमाश को एस.आई. योगेन्द्र सिह, कां. नवीन, कां. अंकुर मलिक व कां. रोमिश तोमर द्वारा तथा मोटर साईकिल चलाने वाले बदमाश को मुझ उपनिरीक्षक व पी.सी. सुनील कुमार व कां. विकास धामा, कां. विकास सिरोही व विवेक पवार व जोशी राणा के द्वारा पकड लिया गया। पकडे गये व्यक्तियों से नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो मोटर साईकिल पर पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम जुनैद पुत्र मेहरबान निवासी जडौदा थाना मसुंरपुर जिला मुजफ्फरनगर बताया उसके दाहिने हाथ से एक पिस्टल 32 बोर जिसकी लम्बाई करीब एक बालिस्त व बट लम्बाई 6 अंगुल जिस पर दोनो ओर प्लास्टिक की चाप लगी है बाडी व नाल लम्बाई लगभग 10 अंगुल जिस पर आगे की और फोर साईड लगी है तथा पीछे की और हैमर लगा है बाई साईड मे स्लाईडर लक तथा उसके नीचे ट्रैगर व ट्रैगर गार्ड लगा है बट के नीचे पीछे की और मैगजीन को खोलने के लिये लीवर तथा मैगजीन लगी है पिस्टल की नाल को सूंघकर देखा तो नाल से ताजा बारूद की गन्ध आ रही है मैगजीन को निकालकर देखा तो उसमे 5 जिन्दा कारतूस जिनके पेन्दे पर KF 7.65 गुदा है बरामद हुए तथा यहा आस पास टार्च की रोशनी में अच्छी तरह से देखा तो सडक पर दो खोखा कारतूस जिनके पेन्दे पर चोट लगी है बरामद हुए। पहनी पैन्ट की जामा तलाशी से दाहिनी साईड की जेब से 500 के चार नोट तथा दिनांक 12/2/17 के ट्रेन के 2 टिकट दिल्ली से मुजफ्फरनगर तक जिनका नंबर L62807164 एवं L 62807165 है बरामद हुए तथा एक मोबाईल फोन के KARBONN कंपनी का रंग लाल व काला जिसका IMEI नं0 जो आगे से मिटे है तथा पीछे के 6 अंक 196084 तथा 196092 जिसमे एक सिम टाटा डोकोमो GSM 899104611101835 21247 है बरामद हुआ। बरामदा सामान को मुताबिक बरामदगी रखा गया मोटर साईकिल चलाने वाले व्यक्ति ने अपना नाम नदीम पुत्र मुकीम सिद्दकी निवासी 318 अली भाई का मकान कुम्हार मौहल्ला चिराग दिल्ली बताया मूल पता ग्राम इटकौली जनपद सुल्तानपुर बताया। जामातलाशी से पहनी पैन्ट के दाहिने सुडडे मे उरसा हुआ एक तमंचा 315 बोर जिसकी लम्बाई एक बालिस्त 2 अंगुल नाल करीब 7 अंगुल बाडी करीब 6 अंगुल जिस पर दोनो और लोहे की पत्ती लगी है जिस पर दोनो और SSRBSS गुदा है बाडी पर ऊपर हैमर नीचे आगे की और नाल को खोलने व बन्द करने के लिये

लीवर तथा पीछे की और ट्रिगर लगा है बट लगभग 5 अंगुल जिस पर दोनो और लकडी की चाप लगी है तमंचा चालू हालत मे है तथा पहनी पैन्ट की दाहिनी जेब से 3 अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर जिसके पेन्दे पर KF 8 MM गुदा है बरामद हुआ तथा पैन्ट की पिछली जेब से नदीम का पैन कार्ड जिसका नं0 AYNPN 0664Q तथा एक आधार कार्ड नदीम का जिसका नं0 374086890229 है तथा दो भारत निर्वाचन आयोग के वोटर आईडी कार्ड DL/03/034/081/21 जाकिया खातून पत्नि मौ0 तनसीम के नाम का एवं UP/69/342/255 344 मीरा पत्नि जगदीश के नाम का तथा मोटर साईकिल नं0 DL 3 SC U 2642 का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो बिटटू पुत्र मोरमुकुट के नाम है तथा एक 500 व चार सौ सौ के नोट कुल 900 रुपये व एक मोबाईल फोन LAVA जिसका IMEI नं0 911532151375623 एवं दूसरी IMEI 911532151375631 बरामद हुआ जिसके अन्दर 2 सिम कार्ड वोडाफोन एवं यूनिनार के लगे है बरामद हुए। बरामदा सामान को मुताबिक बरामदगी रखा गया पकडे गये व्यक्तियो से बरामद मोटरसाईकिल सुपर स्पलैन्डर व रंग काला जिसके पीछे UP 12 AN 7024 जिसका इंजन नं0 JA05ECECD9M06086 व चैचिस नं0 MBLJA05EAD9M05354 बरामद हुई जिसके संबंध मे कोई कागजात न दिखा सके बताया कि इसे हम अहसान त्यागी पुत्र रशीद उर्फ चुप्सा निवासी जडौदा से लाये है बरामद सामान को मौके पर ही मुताबिक बरामदगी कपडे मे रखकर सीकर सर्वे मोहर किया गया पकडे गये व्यक्तियों को उनके जुर्म से अवगत कराकर हिरासत में लिया गया। नावक्त होने के कारण जनता के गवाहन उपलब्ध न हो सके। फर्द मौके पर टार्च की रोशनी मे मुझ उपनिरीक्षक योगेन्द्र सिह से तैयार कराकर फर्द का मजवून हमराही गवाहान को पढकर सुनाकर आलामात बनवाये जाते है। फर्द की एक 2 प्रति अभियुक्तगण को देकर हस्ताक्षर बनवाये जाते है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अभियुक्तगण के परिजनो को उनकी गिरफ्तारी के संबंध में सूचना दी जा रही है। अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद मो०सा० के संबंध मे आवश्यक विधिक कार्यवाही थाने पर जाकर की जायेगी। दौराने गिरफ्तारी माननीय उच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग के निर्देशों का पालन किया गया।

3. उक्त फर्द बरामदगी के आधार पर थाना मन्सूरपुर जिला मुजफ्फरनगर में दिनांक 13.02.2017 को समय 21.15 बजे मुकदमा अपराध संख्या 146 सन् 2017 धारा 307 भा0 दं0 सं0 में अभियुक्त जुनैद एवं नदीम के विरूद्व, मुकदमा अपराध संख्या 147 सन् 2017 धारा 25 आयुध अधिनियम में अभियुक्त जुनैद के विरूद्व के विरूद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी।

4. इसके उपरान्त मामले की विवेचना प्रारम्भ हुई। विवेचना के दौरान विवेचक ने वादी व अन्य गवाहों के बयान अंकित किये। घटनास्थल का निरीक्षण कर उसका नक्शानजरी बनाया।

5. विवेचक द्वारा बाद विवेचना अभियुक्तगण जुनैद व नदीम के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 307 भा0 दं0 सं0 व अभियुक्त जुनैद के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम प्रेषित किया गया।

6. अवर न्यायालय द्वारा उक्त दोनों प्रकरण का संज्ञान लिया गया तथा अभियुक्तगण जुनैद एवं नदीम को तलब किया गया। उक्त दोनों प्रकरण सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय होने के कारण सत्र न्यायालय हेतु सुपुर्द किये गये।

7. सत्र परीक्षण संख्या 1400/2017 में अभियुक्तगण जुनैद व नदीम के विरूद्ध धारा 307 भा0 दं0 सं0 में आरोप दिनांक 08.02.2018 को व सत्र परीक्षण संख्या 1005/2018 में अभियुक्त जुनैद के विरूद्ध धारा 3/25 आयुध अधिनियम में आरोप दिनांक 26.11.2018 को विरचित किये गये। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

8. उपरोक्त दोनों सत्र परीक्षण एक ही घटना से सम्बन्धित होने के कारण न्यायालय द्वारा समेकित किये गये और अग्रणी वाद सत्र परीक्षण संख्या 1400/2017, उ0प्र0 राज्य बनाम जुनैद आदि को बनाया गया।

9. अभियोजन साक्ष्य हेतु पत्रावली नियत होने पर अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित मौखिक साक्षी परीक्षित कराये गयेः–

क्र0 सं0	साक्षी संख्या	साक्षी का नाम
1	पी0 डब्लू0–01	वादी मुकदमा निरीक्षक राकेश कुमार
2	पी0 डब्लू0–02	एस. आई. योगेन्द्र सिंह
3	पी0 डब्लू0–03	कां. अंकुर मलिक
4	पी0 डब्लू0–04	एस.आई. अनित कुमार
5	पी0 डब्लू0–05	कां. 1582 राजकुमार

10. अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित साक्ष्य प्रस्तुत किये गयेः–

क्र0 सं0	अभिलेख	प्रदर्श	किस साक्षी द्वारा साबित किया गया।
1	फर्द बरामदगी	प्रदर्श क–1	पी0 डब्लू0–01
2	नक्शानजरी	प्रदर्श क–2	पी0 डब्लू0–04
3	डी.एम. अनुमित	प्रदर्श क–3	पी0 डब्लू0–04

4	आरोप पत्र	प्रदर्श क–4	पी0 डब्लू0–04
5	आरोप पत्र	प्रदर्श क–5	पी0 डब्लू0–04
6	एफ.आई.आर.	प्रदर्श क–6	पी0 डब्लू0–05
7	जी.डी.	प्रदर्श क–7	पी0 डब्लू0–05
8	एफ.आई.आर.	प्रदर्श क–8	पी0 डब्लू0–05

अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगण के बयानों का सारांश निम्नवत हैः–

11. अभियोजन साक्षी **पी0 डब्लू0–1 वादी मुकदमा निरीक्षक राकेश कुमार** ने दिनांक 08.05.2017 को अपनी मुख्य परीक्षा के बयान में सशपथ कथन किया कि दिनांक 13.02.2017 को मैं बतौर एस०आई०, एस०टी०एफ० मेरठ में तैनात था। उसी दिन मैं एस०आई० योगेन्द्र सिंह, कां० सुनील कुमार, कां० नवीन, कां० अंकुर मलिक व कां० विकास धामा, कां० विकास सिरोही, कां० विवेक कुमार, कां० जोगी राना, कां० रोगिश तोमर, कां० ड्राईवर सुरेन्द्र राठी मय सरकारी गाडी टाटा सूमो व सरकारी मोटरसाईकिल स्पलेण्डर सुपर एस०टी०एफ० कार्यालय, मेरठ से रपट सं०–6 समय 13:00 बजे रवाना होकर तलाश इनामी अपराधी में बहलना चौक पर मौजूद थे। समय करीब 17:00 बजे मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली कि जडौदा गांव का पचास हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी जुनैद मुजफ्फरनगर में है। जो कुछ समय बाद अपने किसी साथी से मिलने के लिए मन्सूरपुर से होता हुआ शाहपुर की तरफ जायेगा। सूचना पर यकीन करके समस्त पुलिस कर्मियों को सूचना से अवगत कराकर आपस में एक दूसरे की जामातलाशी ले देकर यकीन किया कि किसी के पास कोई नाजायज वस्तु नहीं है। मौके पर ही जनता के गवाह लेने की काफी कोशिश की गई लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। मुखबिर को साथ लेकर मय फोर्स के मन्सूरपुर से शाहपुर की ओर जाने वाली सड़क के मोड़ पर कस्बा मन्सूरपुर में अपनी उपस्थिति छुपाकर बताए बदमाश का इन्तजार करने लगे। कुछ समय पश्चात् एक मोटरसाईकिल स्पलेण्डर सुपर पर दो व्यक्ति आते दिखाई दिये। जिन्हें मुखबिर ने दूर से रोशनी में पहचान कर बताया कि मोटरसाईकिल पर पीछे बैठा व्यक्ति कुख्यात अपराधी जुनैद है। हम पुलिस वाले बताई मोटरसाइकिल का सरकारी गाड़ी व मोटरसाइकिल का पीछा करने लगे, शाहपुर रोड पर बने ट्रेक्टर/ट्रक यार्ड के सामने मोटरसाईकिल को ओवरटेक कर कुछ दूर आगे रूक कर गाड़ी से उतरकर मोटरसाईकिल को टॉर्च से रूकने का इशारा किया तथा चिल्लाकर पुलिस होने की बात कही गयी। इस पर मोटरसाईकिल सवार बदमाशों ने मोटरसाईकिल के ब्रैक लगाकर मोटरसाइकिल को वापस मोडने का प्रयास किया। हडबडाहट में मोटरसाईकिल फिसलकर गिर गयी तथा मोटरसाईकिल के पीछे बैठे व्यक्ति ने पहनी पेन्ट की एन्टी से पिस्टल निकालकर पुलिसकर्मियों को जान से मारने की नीयत से फायर

किये। जिससे हम लोग बाल–बाल बच गये तथा हम पुलिसकर्मियों ने साहस का परिचय देते हुए आवश्यक बल का प्रयोग कर दोनों बदमाशों को समय करीब 19:30 बजे यार्ड से 60 कदम शाहपुर की ओर सडक पर पकड लिया। पकडे गये व्यक्तियों से नाम पता पूछते हुये जामा तलाशी ली गयी तो मोटरसाईकिल के पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम जुनैद पुत्र मेहरबान, निवासी जडौदा, थाना मन्सूरपुर, जिला मुजफ्फरनगर बताया, जिसके दाहिने हाथ से एक पिस्टल 32 बोर बरामद हुआ, जिसकी मैगजीन को निकालकर देखा तो उसमें 5 जिन्दा कारतूस मिले, आसपास टॉर्च की रोशनी में देखा तो सडक पर दो खोखा कारतूस 32 बोर बरामद हुए तथा जेब से 2,000/–रूपये नकद व ट्रैन के दो टिकट व एक मोबाईल फोन बरामद हुआ। मोटरसाईकिल चलाने वाले व्यक्ति ने अपना नाम नदीम पुत्र मुकीम सिद्दकी, निवासी मौहल्ला चिराग दिल्ली बताया तथा मूल पता जनपद सुल्तानपुर बताया। इसकी जामा तलाशी से एक तमन्चा 315 बोर तथा पेन्ट की जेब से 3 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुए तथा मोटरसाईकिल के कागजात बरामद हुए जो किसी बिट्टू नाम के व्यक्ति के नाम पंजीकृत थी व कुल 900/–रूपये व एक मोबाईल फोन बरामद हुआ। फर्द मोके पर टॉर्च व गाडी की रोशनी में मेरे बोलने पर एस०आई० योगेन्द्र सिंह द्वारा लिखी गयी थी। सभी गवाहान को फर्द पढकर सुनाकर हस्ताक्षर बनवाये गये थे। माल मुल्जिम बरामद मौके पर ही सील सर्वे मोहर कर नमूना मोहर बनाया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के निर्देशों का पालन किया गया। गिरफतारी की सूचना मुलजिमान के परिजनो को दी गई थी। मैने अपने हस्ताक्षर किये थे व सभी हमराहीयान ने व मुलजिमान के हस्ताक्षर हुए थे। मुलजिमान को थाने पर लाकर अन्दर हवालात बन्द किया था व माल मुकदमा थाने में माल खाने में जमा किया था। फर्द पत्रावली पर 5क/1 ता 5क/2 है, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। न्यायालय के आदेशानुसार माल मुकदमा खोला गया, जो अभियुक्त जुनैद से संबंधित है जिस पर गवाह ने अपने व अभियुक्त जुनैद के हस्ताक्षर को शिनाख्त किया, इसमें से एक पिस्टल 32 बोर 2 खोखा कारतूस 32 बोर तथा पिस्टल की मैगजीन में 5 जिन्दा कारतूस 32 बोर के निकले जिन्हें देखकर गवाह ने कहा कि यह वही पिस्टल, खोखा कारतूस व जिन्दा कारतूस है जो अभियुक्त जुनैद से घटनास्थल से बरामद हुए थे। पिस्टल पर वस्तु प्रदर्श–1, खोखा कारतूस पर वस्तु प्रदर्श–2 ता 3 व जिन्दा कारतूस पर वस्तु प्रदर्श 4 ता 8 व कपड़ा पुलिन्दा पर वस्तु प्रदर्श –9 डाला गया। यह माल मु.अ.सं. 147/17 से संबंधित है। माननीय न्यायालय के आदेश पर दूसरा सील बन्द पुलिन्दा मु.अ.सं. 148/17 सरकार बनाम नदीम से संबंधित है, जिस पर गवाह ने अपने हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर होना बताया, खोला गया, जिसमें से एक तमंचा देशी 315 बोर व 3 जिन्दा कारतूस 315 बोर मिले, जिन्हें देखकर गवाह ने कहा कि यह वही तमंचा व जिन्दा कारतूस है जो मुलजिम नदीम से घटना के समय बरामद हुए, तमंचे

पर वस्तु प्रदर्श–10, जिन्दा तीनों कारतूसों पर वस्तु प्रदर्श–11 ता 13 व कपड़ा पुलिन्दा पर वस्तु प्रदर्श–14 डाला गया, तमंचा व पिस्टल दोनों चालू हालत में है। न्यायालय में एक तीसरा बन्द पुलिन्दा मु.अ.सं. 146/17 अभियुक्त जुनैद से संबंधित है जिस पर गवाह ने अपना हस्ताक्षर शिनाख्त किया, खोला गया, जिसमें से एक मोबाईल कार्बन दो ट्रेन टिकट दिल्ली–मुजफ्फरनगर व 2 हजार रूपये में 500–500 के चार नोट, जिन्हें देखकर गवाह ने कहा कि यह मोबाईल व दोनों ट्रेन टिकट व 2000/–रूपये मुलजिम जुनैद से घटना के समय बरामद हुए थे। मोबाइल पर वस्तु प्रदर्श–15, टिकटों पर वस्तु प्रदर्श 16 ता 17 व रूपयों पर वस्तु प्रदर्श–18 ता 21 व कपड़े पुलिन्दे पर वस्तु प्रदर्श–22 डाला गया। माननीय न्यायालय की अनुमति से मु.अ.सं. 146/17 बनाम नदीम से संबंधित है गवाह ने अपने हस्ताक्षर शिनाख्त किया, खोला गया, जिसमें से एक मोबाईल लावा व 900/– रूपये एक नोट 500 सो का चार नोट 100–100 के व एक आर.सी. गाड़ी नंबर डी.एन. 35 सी.वी. 2612 बिट्टू से संबंधित, एक पैन कार्ड नदीम, एक आधार कार्ड नदीम, दो फोटो आईडी मीरा व जाकिया खातून से संबंधित, जिन्हें देखकर गवाह ने कहा कि यह सामान है जो अभिुक्त नदीम की जामातलाशी से बरामद हुआ था। मोबाईल पर वस्तु प्रदर्श–23, नोटो पर 24 ता 28, आर.सी. पर वस्तु प्रदर्श –29, पैन कार्ड पर 30, आधार कार्ड पर वस्तु प्रदर्श–31, वोटर कार्डों पर वस्त प्रदर्श–32 ता 33 डाला गया। मुलजिम जुनैद न्यायालय मे हाजिर है जिसकी गवाह ने शिनाख्त की, मुलजिम नदीम आज हाजरी माफी प्रस्तुत की गयी है।

उक्त साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि बरामदा माल वस्तु प्रदर्श–1 पर राकेश कुमार एस.आई. और किसी अन्य गवाह के हस्ताक्षर नहीं है। हस्ताक्षर राकेश कुमार के है, वस्तु प्रदर्श–2 ता 3 पर कोई चिट बन्दी नहीं है। जुनैद से बरामद रूपयों व रेलवे टिकट पर एस.आई. राकेश कुमार के हस्ताक्षर है और किसी गवाह के हस्ताक्षर नहीं है। मु.अ.सं. 147/17 व 148/17 नदीम की पत्रावली आज न्यायालय में मौजूद नहीं है, परंतु उसका माल न्यायालय में मौजूद है। मु.अ.सं. 146/17 चिक रिपोर्ट का अवलोकन माननीय ए.सी.जे.एम. 2 ने 16.02.17 में अवलोकन किया। इस मुकदमें का आरोप पत्र दिनांक 17.04.17 में न्यायालय में आया। मैं नहीं कह सकता कि इस केस के विवेचक अनित यादव मुझसे सीनियर है या जूनियर है। पब्लिक का कोई गवाह नहीं साथ ले गये थे, कोई गवाह गवाही के लिये तैयार नहीं हुआ। एस.आई. योगेन्द्र सिंह, कां. नवीन कुमार, अंकुर मलिक व अन्य सभी पुलिस वाले गवाह मेरठ से चले थे। मेरठ से चलकर हमें वहलना चौक आये थे। जहां पर मुखबिर ने सूचना दी थी। मैं मुलजिमान को पहले से नहीं जानता। घटनास्थल पर जो लोग आये थे उनके नाम पते मैने नहीं पूंछे थे, दरोगा जी ने मेरा बयान कब लिया था मुझे ध्यान नहीं है। घटनास्थल पर आई.ओ. के साथ कब गया था मुझे ध्यान नहीं है। कितने दिन बाद गया था मुझे ध्यान नहीं है। किसी

पुलिस कर्मचारी को कोई चोट नहीं आई, न ही मुलजिमान के कोई चोट आई थी। हम मेरठ से किस केस के सिलसिले में मुजफ्फरनगर आये थे मेरठ में हमें कोई भी पुरस्कार घोषित बदमाश की सूचना नहीं मिली थी। मेरे मेरठ से रवानगी की जी.डी. पत्रावली पर मौजूद नहीं है। वहलना चौक पर सूचना मुखबिर द्वारा समय करीब 5 बजे मिली थी। हमें मुखबिर से सूचना मिली थी कि मुजफ्फरनगर में जुनैद नाम का बदमाश कही छिपा है और वह मन्सूरपुर को होते हुए अपने साथी से मिलने शाहपुर जायेगा। हमने उक्त सूचना उच्च अधिकारीगण को सूचना दी थी। सूचना मौखिक रूप से दी थी। नदीम से बरामद तमंचे की सील पर एस.आई. राकेश के अलावा अन्य गवाह के हस्ताक्षर नहीं है। नदीम बाईक चला रहा था उसके द्वारा कोई फायर किया गया या नहीं, मै नहीं बता सकता। यह बात सही है कि नदीम दिल्ली निवासी है मूल रूप से जिला सुल्तानपुर का निवासी है। यह बात भी सही है कि मुलजिम की तलाशी से 2 रेलवे के टिकट दिल्ली–मुजफ्फरनगर के बरामद हुए। यह कौन सी तारीख है मुझे ध्यान नहीं है। नदीम से जो पैन कार्ड, आधार कार्ड, आई.डी जाकिया खातून व मीरा तथा मोटरसाइकिल की आर.सी. जो बिट्टू पुत्र मोरमुकुट के नाम है फोन लावा जिसमें 2 सिम थे, समस्त सामान का किसी ने क्लेम किया जानकारी नहीं है। जो तीन अदद कारतूस अभियुक्त नदीम से बरामद हुए उस पर किसी के हस्ताक्षर नहीं है। वहलना से घटनास्थल तक करीब 6.00 बजे पहुंच गये थे। फर्द बनाने में करीब 2–3 घन्टे लगे थे और मौके पर ही फर्द बनाई गई थी। गवाह के लिये वहलना चौक व घटनास्थल पर ढूंढे थे अन्य कही नहीं ढूंढे थे। गवाह सभी ने मिलकर ढूढने की कोशिश की थी। गवाहों के नाम पते हमने नहीं पूछे थे। यह बात सही है कि जब फायरिंग हुई तब 10–20 लोग मौके पर आ गये थे वह कौन लोग थे, नाम पते नहीं पूछे थे, मैं नहीं बता सकता। घटनास्थल चलने वाला रास्ता है काफी लोग आते जाते रहते है। यह कहना गलत है कि मैने नदीम को रेलवे स्टेशन से उठाकर झूठा चालान किया हो। यह कहना भी गलत है कि नदीम मौके पर न रहा हो।

12. अभियोजन साक्षी **पी0 डब्लू0–2 एस.आई. योगेन्द्र सिंह** ने दिनांक 24.09.2018 को अपनी मुख्य परीक्षा के बयान में सशपथ कथन किया कि दिनांक 13.02.2017 को मैं एस०टी०एफ० मेरठ में तैनात था। थाना कार्यालय से रपट नं0–6 समय 13:00 बजे मेरठ एस०टी०एफ० कार्यालय से इनामी बदमाश की तलाश में मुजफ्फरनगर के लिये मय टीम एस०आई० राकेश सिंह, कां0 सुनील कुमार, कां० नवीन, कां० अंकुर मलिक व कां० विकास धामा, कां० विकास सिरोही, कां० विवेक कुमार, कां० जोगी राना, कां० रोमिश तोमर, कां० ड्राईवर सुरेन्द्र राठी मय सरकारी गाडी टाटा सूमो व सरकारी मोटरसाईकिल स्पलेण्डर सुपर से रवाना होकर मुजफ्फरनगर वहलना चौक पर आये थे। समय करीब 17:00 बजे मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली कि जडौदा गांव का पचास हजार रूपये का इनामी बदमाश

जुनैद मुजफ्फरनगर में है। जो अपने किसी साथी से मिलने के लिए मन्सूरपुर से होकर शाहपुर की तरफ को जायेगा। सूचना पर विश्वास करके हम सभी ने एक दूसरे की जमानतलाशी लेकर यकीन किया कि किसी के पास नाजायज वस्तु नहीं है और जनता के गवाहान लेने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। भलाई बुराई के कारण कोई तैयार नहीं हुआ व नाम पता बताये बगैर चले गये। जिस पर हम लोग मुखबिर को साथ लेकर मन्सूरपुर से शाहपुर की ओर जाने वाली सड़क के मोड़ पर मन्सूरपुर में खड़े होकर बदमाश का इन्तजार करने लगे। कुछ समय बाद एक मोटरसाईकिल स्पलेण्डर सुपर पर दो व्यक्ति आते दिखाई दिये। जिन्हें देखकर मुखबिर ने बताया कि मोटरसाईकिल पर पीछे बैठा जुनैद है, जिस पर हम लोग सरकारी गाड़ी व मोटरसाईकिल के पीछा करने लगे। शाहपुर रोड पर ट्रेक्टर यार्ड के सामने मोटरसाईकिल को ओवरटेक करके यार्ड से थोड़ा आगे उसे रोकने की कोशिश की, टॉर्च की रोशनी में व गाड़ी की लाईट से रोकने का इशारा किया तथा चिल्लाकर कहा कि हम लोग पुलिस वाले है। जिस पर मोटरसाईकिल सवार बदमाशों ने मोटरसाईकिल वापस मोडने का प्रयास किया, जिस पर मोटरसाईकिल फिसलकर गिर गयी। पीछे बैठे व्यक्ति ने पहनी पेन्ट से उडवा हुआ पिस्टल निकालकर हम पुलिस वालों पर जान से मारने की नीयत से फायर किये, जिससे हम बाल–बाल बच गये। हम पुलिसकर्मियों ने साहब का परिचय देते हुए आवश्यक बल प्रयोग करके दोनों बदमाशों को समय करीब 19:30 बजे यार्ड से करीब 60 कदम की दूरी पर शाहपुर रोड़ की तरफ पकड लिया। पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम जुनैद पुत्र मेहरबान, निवासी जडौदा, थाना मन्सूरपुर, जिला मुजफ्फरनगर बताया, इसके दाहिने हाथ से एक पिस्टल 32 बोर बरामद हुआ, इसकी मैगजीन को खोलकर देखा तो उसमें पांच जिन्दा कारतूस मौजूद थी। टार्च की रोशनी में आसपास देखा तो सडक पर दो खोखा कारतूस 32 बोर बरामद हुए तथा जेब से दो हजार रूपये मिले व दो ट्रैन के टिकट व एक मोबाईल फोन बरामद हुआ। मोटरसाईकिल चलाने वाले ने अपना नाम नदीम पुत्र मुकीम सिद्दकी, निवासी मौहल्ला चिराग दिल्ली बताया तथा मूल पता जनपद सुल्तानपुर बताया। इसकी पहनी पेन्ट से उरसा हुआ तमन्चा 315 बोर तथा पेन्ट की जेब से तीन जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुए तथा मोटरसाइकिल के कागजात की बरामदगी हुई, जो किसी बिट्टू नाम के व्यक्ति के थे व 900/–रूपये व मोबाईल फोन बरामद हुआ था। बरामदगी की फर्द एस.आई. राकेश द्वारा बोलबोलकर मुझसे लिखाई गई थी, जिसको मैने टार्चों व गाडी की रोशनी में लिखा था। फर्द पत्रावली पर प्रदर्श क–1 है, जिस पर मेरे दस्तखत है, मैं शिनाख्त करता हूँ, मेरे लेख में है। बरामद माल को मौके पर ही सील सर्वे मोहर कर नमूना मोहर तैयार किया था। मय माल व मुलजिमान के थाना मन्सूरपुर पर आकर एस.आई. राकेश कुमार द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

उक्त साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि मैं एस.टी.एम. में अप्रैल 2014 से जून 2018 तक तैनात रहा हूँ। एस.टी.एफ. को सूचना ईनामी बदमाश जुनैद की मिली थी जो हमारे टारगेट में था। जी.डी. की रवानगी पत्रावली पर नहीं है। मेरठ से हम 1 बजे चले थे। वहलना चौक पर हम 5 बजे पहुंचे थे। मेरठ से हम अलग–अलग सूचना संकलित करते हुए 5 बजे वहलना चौक पहुंचे थे। सूचना कहा कहा से एकत्रित की आज मैं नहीं बता सकता हूँ। हम किस किस गांव एवं कस्बे में रूके यह भी आज नहीं बता सकता हूँ। किस विशेष जगह हम रूके यह भी नहीं बता सता हूँ। मेरठ से मुजफ्फरनगर आने का रास्ता करीब 1 घन्टे का है। जब हम मुजफ्फरनगर आ गये तब भी हमने इनामी बदमाश जुनैद की सूचना एस.एस.पी. मुजफ्फरनगर को नहीं दी, न ही वहलना चौकी पर दी थी, क्योकि एस.टी.एफ. पश्चिमी मेरठ ईकाई छः जनपदों में सूचना संकलन व गिरफ्तारी अभियुक्तों की अपने उच्च अधिकारियों को देती है। पत्रावली पर सूचना देने वाली बात कोई साक्ष्य नहीं है। यह बात सही है कि वहलना चौक पर पुलिस चौकी है उसपर पुलिस वाले तैनात रहते है। आसपास होटल व ढाबे तथा दुकाने व मारकेट है और पास में जैन मन्दिर भी है। भीड़ भाड़ वाला चौराहा है। इस चौराहे से मेरठ से व दिल्ली से बसे व कारे आती जाती रहती है। देहरादून से भी व शामली से भी बसे आती जाती रहती है। इस चौराहे पर हमने गवाह तलाशने की कोशिश की मगर उन्होंने अपने नाम पते नहीं बताए। वहलना चौक पर मुलजिम आते हुए नहीं दिखाई दिए थे। मन्सूरपुर से जो शाहपुर की तरफ रोड़ पर हम मुखबिर लिये खड़े थे, तभी मुखबिर ने बताया कि सुपर स्पेलेन्डर मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा व्यक्ति इनामी बदमाश जुनैद है। उस समय ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी एक दो सवारिया खड़ी थी करीब 200–400 मीटर की दूरी पर मुलजिमों को पकड़ लिया था। यह बात सही है कि नदीम ने गोली नहीं चलाई, पुलिस के द्वारा भी कोई गोली नहीं चली थी। पूरब में खेत थे। पश्चिम में नाला व खेत है। उत्तर दक्षिण सड़क है। कुछ में गन्ना खड़ा था कुछ में छोटे–छोटे गेंहू खड़े थे। गन्ने की फसल 8–10 फुट उची होगी। गेहूं की फसल 1–2 बाल्सित रही होगी। यह ध्यान नहीं है कि किस साईड में कौन सी फसल थी यह ध्यान नहीं है। यह बात सही है कि मैं आई.ओ. के साथ घटनास्थल पर नहीं आये। जब हम मेरठ से वहलना चौक के लिये चले थे उस समय मे साथ कौन कर्मचारी था यह भी ध्यान नहीं है। नदीम मुलजिम से एक तमंचा व दूसरी मोटरसाइकिल की आर.सी. व अन्य कागजात जिसमें 2 रेलवे टिकट थे। सील का सामान गाड़ी में अधिकतर पड़ा रहता है, सील (अवैध हथियार) को साथी कर्मचारीयों ने किया था। कितने पुलिन्दे थे यह ध्यान नहीं है। घटनास्थल पर करीब एक घन्टा लग गया था। मुलजिमों को पकड़ने के बाद थाना मन्सूरपुर ले गये थे। घटना मन्सूरपुर पर हम करीब आधा घन्टा रूके थे फिर हम सभी कर्मचारी मेरठ आ गये थे, यह मुझे ध्यान नहीं है कि आई.ओ. ने मेरे कब बयान लिया, मुझे ध्यान नहीं है कितने दिन बाद बयान लिया। यह भी

ध्यान नहीं है पुलिन्दों पर मेरे हस्ताक्षर थे। यह बात सही है कि जहां से मुलजिमों को गिरफ्तार किया था वहां का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं।

13. अभियोजन साक्षी **पी0 डब्लू0–3 कां. अंकुर मलिक** ने दिनांक 12.12.2018 को अपनी मुख्य परीक्षा के बयान में सशपथ कथन किया कि दिनांक 13.02.2017 को मैं एस०टी०एफ० मेरठ में तैनात था। थाना कार्यालय से रपट नं0–6 समय 13:00 बजे मेरठ एस०टी०एफ० कार्यालय से इनामी बदमाश की तलाश में मुजफ्फरनगर के लिये मय टीम एस०आई० राकेश सिंह, कां० सुनील कुमार, कां० नवीन, कॉ० अंकुर मलिक व कां० विकास धामा, कां० विकास सिरोही, कां० विवेक कुमार, काठ जोगी राना, कां० रोमिश तोमर, कां० ड्राईवर सुरेन्द्र राठी मय सरकारी गाडी टाटा सूमो व मोटरसाईकिल सरकारी स्पलेण्डर सुपर से रवाना होकर मुजफ्फरनगर, वहलना चौक पर आये थे। समय करीब 17:00 बजे मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली कि जडौदा गांव का पचास हजार रूपये का इनामी बदमाश जुनैद मुजफ्फरनगर में है। हमने एक दूसरे की जामातलाशी लेकर यकीन किया कि किसी के पास कोई नाजाय वस्तु नहीं है और जनता के गवाह लेने का प्रयास किया था लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ था। हम लोग मुखबिर को साथ लेकर मन्सूरपुर से शाहपुर की ओर जाने वाली सड़क के मोड़ पर मन्सूरपुर में खड़े होकर बदमाश का इन्तजार करने लगे। कुछ समय बाद एक मोटरसाईकिल स्पलेण्डर सुपर पर दो व्यक्ति आते दिखाई दिये। मुखबिर ने बताया कि पीछे बैठा व्यक्ति जुनैद है। हम लोगों ने मोटरसाईकिल का पीछा किया तथा शाहपुर रोड पर बने ट्रेक्टर यार्ड के सामने मोटरसाईकिल को हम लोगो ने ओवरटेक करके यार्ड से थोड़ा आगे रोकने की कोशिश की तथा चिल्लाकर कहा कि हम लोग पुलिस वाले हैं, जिस पर मोटरसाईकिल सवार बदमाशों ने मोटरसाईकिल को वापस मोडने का प्रयास किया, जिस पर मोटरसाईकिल फिसल गयी। पीछे बैठे व्यक्ति ने पहनी पेन्ट में उडसा हुआ पिस्टल निकालकर पुलिस वालों पर जान से मारने की नीयत से फायर किये, जिससे हम लोग बाल–बाल बच गये। हमने आवश्यक बल का प्रयोग करके दोनों बदमाशों को समय करीब 19:30 बजे यार्ड से करीब 60 कदम की दूरी पर शाहपुर रोड की तरफ पकड लिया। पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम जुनैद पुत्र मेहरबान, निवासी जडौदा, थाना मन्सूरपुर बताया। इसके दाहिने हाथ से एक पिस्टल 32 बोर बरामद हुआ। इसकी मैगजीन से पांच जिन्दा कारतूस मिले। सडक पर दो खोखा कारतूस 32 बोर बरामद हुए। मोटरसाईकिल चलाने वाले ने अपना नाम नदीम पुत्र मुकीम निवासी मौहल्ला चिराग दिल्ली बताया। इसकी पेन्ट में उडसा हुआ एक तमन्चा 315 बोर तथा तीन जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुए। बरामदगी की बाबत फर्द एस०आई० राकेश द्वारा बोल–बोलकर एस०आई० योगेन्द्र सिंह द्वारा लिखी गयी थी। फर्द पत्रावली पर प्रदर्श क–1 है। फर्द पर मेरे व अन्य पुलिसकर्मियों

के दस्तख्त हैं। बरामदा माल को मौके पर ही सील सर्वे मोहर किया गया था। माल व मुलजिमान को थाना मन्सूरपुर पर लाकर अभियोग पंजीकृत मुलजिमान के खिलाफ कराया था।

उक्त साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि मैं कां. के पद पर एस.टी.एफ. में तैनात हूँ। मेरठ से लगभग 1.00 बजे दिन हम मेरठ से चले थे। राकेश सिंह एस.आई. ने बताया था कि वांछित अपराधियों की तलाश में निकल रहे है। वांछित अपराधी का नाम नहीं बताया था। मुझे जानकारी नहीं है कि रवानगी की जी.डी. पत्रावली पर है या नहीं। मुझे जानकारी नहीं है कि एस.आई. राकेश सिंह ने एस.एस.पी. मुजफ्फरनगर को वांछित अपराधी की सूचना दी थी या नहीं। मेरठ से हम पुलिस वाले टाटा सूमो गोल्ड यू.पी. 32 बी.जी. 4148 से चले थे। एक मोटरसाइकिल भी सरकारी थी। मोटरसाइकिल का नंबर मुझे पता नहीं है। मुझे यह भी याद नहीं कि उस मोटरसाइकिल पर कौन–कौन पुलिस वाले सवार थे। हम मेरठ से सीधा मुजफ्फरनगर वहलना चौक पर आये थे। मेरठ से वहलना चौक तक पहुंचने में करीब डेढ़ दो घन्टा लगा था। मुझे जानकारी नहीं है कि मेरठ से मुजफफरनगर तक आते समय एस.आई. राकेश सिंह को कोई सूचना मिली हो। मुझे ध्यान नहीं कि वहलना चौक के पूरब पच्चिम उत्तर दक्षिण में क्या क्या है। मुझे ध्यान नहीं कि वहलना चौक पर कोई पुलिस चौकी है या नहीं। एस.आई. राकेश सिंह को मुलजिम जुनैद के बारे में सूचना वहलना चौक पर मिली थी। वहलना चौक से हम दक्षिण पूरब की ओर चले थे। लगभग शाम 6 बजे हम घटना स्थल पर पहुंच गये थे। मुझे जानकारी नहीं है कि वहलना चौक से घटनास्थल की दूरी कितनी होगी। हम लोग वहलना चौक पर काफी देर रूके थे। यह बात सही है कि उक्त घटना में पब्लिक का कोई गवाह नहीं है। यह बात सही है कि पब्लिक के ढूंढे गये गवाहों के नाम पते भी मुझे नहीं मालूम। यह बात सही है कि उक्त घटना से कोई भी पुलिस कर्मी घायल नहीं हुआ था। मुलजिमों की मोटरसाइकिल का नंबर मुझे ध्यान नहीं है। नदीम से एक तमंचा 315 बोर, तीन जिन्दा कारतूस तथा कुछ रूपये थे व मोबाईल भी बरामद हुआ था। मोबाईल किस कम्पनी का था, मुझे ध्यान नहीं है। नदीम से इसके अलावा और क्या बरामद हुआ था अब याद नहीं है। यह बात सही है कि नदीम ने कोई गोली नहीं चलाई, जब जुनैद ने गोली चलाई तब हम 10–12 कदम पर थे तथा कोई आड नहीं थी। कौन कौन किस दिशा में खड़े थे, अब याद नहीं है। घटनास्थल के पश्चिम की तरफ गेहू के खेत थे। पूरब में क्या था अब याद नहीं है। उत्तर–दक्षिण में क्या क्या था, अब याद नहीं है। आई.ओ. ने मेरा बयान कब लिया था अब याद नहीं है। इस केस से संबंधित रवानगी हमारी नहीं हुई थी। हम घटना वाले दिन मेरठ से आये थे एस.आई. राकेश सिंह, एस.आई. योगेन्द्र सिंह, पी.सी. सुनील कुमार और कां. विकास चौधरी, कां. विकास धामा आदि आये थे हम सरकारी गाड़ी सुमो गोल्ड व सरकारी मोटरसाइकिल थी मेरठ से हम एक बजे चले थे। हम केवल ईनामी अपराधी की तलाश में मुजफफरनगर क्षेत्र के लिये चले थे हम

आकर वहलना चौक रूके थे। हम ढाई –तीन बजे करीब वहलना चौक आ गये थे। घटनास्थल के पास शुगर मिल का यार्ड है मुझे बाकि याद नहीं है कि मकान है या नहीं। घटनास्थल का रास्ता काफी चलता हुआ है उस समय घटनास्थल पर घटना के समय ज्यादा लोग नहीं आये थे। लोग आ जा रहे थे रूका कोई नहीं था। रोकने का प्रयास किया किन्तू कोई नहीं रूका। नाम पता पूछा किन्तू किसी ने नहीं बताया। ये दो मुलजिमान मोटरसाइकिल पर थे मोटरसाइकिल किस रंग की याद नहीं है। मोटरसाइकिल उनके पास से मिली थी। आज मेरे सामने मोटरसाइकिल नहीं है मोटरसाइकिल किसकी थी मेरे याद नहीं है। इस केस की विवेचना किस अधिकारी ने की थी मुझे याद नहीं है। विवेचना किसी सीनियर अधिकारी द्वारा या जूनियर अधिकारी द्वारा की, मुझे याद नहीं है। मुलजिम ने फायर किया था फायरकरीब 30–40 कदम की दूरी से किया था चोट किसी को नहीं लगी थी। मुलजिम हमसे पश्चिम दिशा में थे व हम पूरब में थे। विवेचना अधिकारी ने आरोप पत्र कब दाखिल किया जानकारी नहीं है धारा 25 आयुध अधिनियम के मुकदमें को जिला अधिकारी से अनुमति ली थी या नहीं मुझे जानकारी नहीं है। यह बात सही है कि जब फायरिंग हुई तो वहां से पब्लिक के लोग आ जा रहे थे। फर्द मौके पर ही लिखाई थी लगभग दो घन्टे फर्द लिखने में लगे थे। बिजली की लाईट खम्बे पर जल रही थी तथा टार्च भी थी। यह कहना गलत है कि ऐसी कोई घटना न हुई हो, मैं झूठी गवाही दे रहा हूँ। यह कहना गलत है कि मुलजिम जुनैद को घर से उठाकर फर्जी बरामदगी की हो।

14. अभियोजन साक्षी **पी0 डब्लू0–4 एस.आई. अनित कुमार** ने दिनांक 13.11.2019 को अपनी मुख्य परीक्षा के बयान में सशपथ कथन किया कि एस०आई० राकेश कुमार एस०टी०एफ० मेरठ की तहरीर पर कायमी मु०अ०सं० 146/2017 धारा 307 भा०दं०सं० बनाम जुनैद आदि व मु०अ०सं० 147/17 धारा 25 आर्म्स एक्ट बनाम जुनैद व धारा 25 आर्म्स एक्ट मु०अ०सं० 148/17 धारा आर्म्स एक्ट बनाम नदीम की विवेचना मुझ एस०आई० को दिनांक 13.02.2017 को मैने ग्रहण की। प्रथम पर्चा मेरे द्वारा दिनांक 14.02.2017 को किता किया था। सी०डी०–1 में नकल चिक, नकल रपट, बयान गवाह कां०/क्लर्क राजकुमार एवं बयान अभियुक्तगण जुनैद एवं नदीम अंकित किये थे तथा मुल्जिमों को रिमाण्ड हेतु न्यायालय में पेश किया था। दिनांक 16.02.2017 को सी.डी. 02 किता की गई, जिसमें मेरे द्वारा बयान वादी राकेश कुमार एस.टी.एफ. मेरठ, बयान एस.आई. योगेन्द्र सिंह एस.टी.एफ. मेरठ, बयान कां. नवीन कुमार एस.टी.एफ. मेरठ, बयान कां. विवेक पवांर एस.टी.एफ. मेरठ, बयान कां. अंकुर मलिक एस.टी.एफ. मेरठ, बयान कां. जोशी राणा एस.टी.एफ. मेरठ, बयान कां. विकास चौधरी एस.टी.एफ. मेरठ, बयान पी.सी. सुनील कुमार एस.टी.एफ. मेरठ, बयान कां. रोमिश तोमर एस.टी.एफ. मेरठ, बयान कां. विकास धामा एस.टी.एफ. मेरठ के अंकित किये गये तथा वादी मुकदमा की निशानदेही पर निरीक्षण

घटनास्थल किया गया तथा मौके पर नक्शा नजरी तैयार किया गया। नक्शा नजरी पत्रावली पर कागज संख्या 8 ख है जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। पर्चा नंबर 03 दिनांक 09.03.2017 को किता किया, जिसमें अभियुक्तगण जुनैद व नदीम के विरूद्ध अभियोग स्वीकृति हेतु जिला मजिस्ट्रेट महोदय को प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया। पर्चा नंबर 04 दिनांक 08.04.2017 को किता किया गया, हमने मु.अ.सं. 147, 148 सन् 2017 में अभियोग अनुमति प्राप्त की थी। अनुमति पत्रावली पर कागज संख्या 10 है इसपर जिला मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार के हस्ताक्षर है व मोहर लगी है इस पर प्रदर्श क–3 डाला गया। पर्चा नंबर 5 दिनांक 12.04.2017 को किता किया गया, जिसमें बयान वादी व गवाहान एवं तमामी विवेचना में पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए अभियुक्त जुनैद व नदीम के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। आरोप पत्र संख्या 100/17 धारा 307 भा.दं.सं. बनाम जुनैद आदि कागज संख्या 3/1 है जिस पर थाने की सील लगी है इस पर प्रदर्श क–4 डाला गया तथा आरोप पत्र संख्या 107/11 मु.अ.सं. 147 बनाम जुनैद धारा 25 आयुध अधिनियम न्यायालय में प्रेषित किया था जिस पर थाने की सील लगी है व मेरे हस्ताक्षर है कागज संख्या 3/1 है इस पर प्रदर्श क–5 डाला गया।

उक्त साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि मेरी जानकारी में सही है कि इस केस में रवानगी किन किन की हुई थी गिरफ्तारी करने वाली एस.टी.एफ. टीम मेरठ की थी मैं घटनास्थल पर गिरफ्तारी के समय नहीं गया था। इस केस का विवेचना अधिकारी मैं ही था और कोई नहीं था। इस केस की एफ.आई.आर. एस.आई. राकेश कुमार ने की थी। एस.आई. राकेश कुमार मेरे से सीनियर है या नहीं मुझे जानकारी नहीं है। मैने इस केस से संबंधित बरामद मोटरसाइकिल थाने पर देखी थी किस रंग की थी मेरी जानकारी में नहीं है। मैने इस केस से संबंधित आरोप पत्र 12.04.2017 में प्रेषित किया था मैने दफा 25 आयुध अधिनियम की जिलाधिकारी से अनुमति ली थी। मैने जिलाधिकारी के सामने बरामद तमंचा पेश किया था उसका तसकरा सी.डी. में अंकित है इसमें परविष्टि भी लगी है। घटनास्थल पर मैं 16.02.17 में गया था। घटनास्थल के आसपास खेत थे और एक तरफ खाली जगह थी। जहां पर ट्रैक्टर खड़े होते है। मुझे याद नहीं है उनके नाम नक्शानजरी में लिखे है। ये नक्शानजरी मैने वादी मुकदमें के बताने पर बनाया था। यह रास्ता आम है इसपर आवाजाही काफी है। मुझे जानकारी नहीं है कि फर्द कहां लिखी गई थी। मैने जनता के किसी व्यक्ति का बयान नहीं लिया है। केस डायरी मैने जिलाधिकारी के सामने पेश की थी उसको मैने डायरी में लिखा है।

15. अभियोजन साक्षी **पी0 डब्लू0–5 कां. 1582 राजकुमार** ने दिनांक 13.11.2019 को अपनी मुख्य परीक्षा के बयान में सशपथ कथन किया कि दिनांक 13.02.2017 को मैं थाना मन्सूरपुर पर बतौर कां०/क्लर्क तैनात था। उस दिन मैने फर्द बरामदगी एस०आई० राकेश कुमार के आधार पर मु०अ०सं० 146/17 बनाम जुनैद आदि की

चिक किता की थी। चिक पत्रावली पर 4क/1 ता 4क/3 है जिस पर थाना प्रभारी सुभाष सिंह के हस्ताक्षर है शिनाख्त करता हूँ इस पर प्रदर्श क–6 डाला गया। जी०डी० सं०–25 समय 21:15 बजे दिनांकित 13.02.2017 को किया था। जी.डी. की कम्प्यूटर प्रति 7क/1 है शिनाख्त करता हूँ, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, इस पर प्रदर्श क–7 डाला गया और इसके अलावा मेरे द्वारा मु०अ०सं० 147 धारा 25 आर्म्स एक्ट की भी चिक किता की थी जो पत्रावली पर कागज संख्या 4/1 व 4/3 है इस पर थानाध्यक्ष के हस्ताक्षर है शिनाख्त करता हूँ इस पर प्रदर्श क–8 डाला गया और इस मुकदमे का खुलासा मेरे द्वारा जी०डी० सं०–25 में किया गया था, जिस पर पूर्व में प्रदर्श क–7 डाला जा चुका है।

उक्त साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि मैं वर्तमान में थाना खतौली में सी./सी. के पद पर नियुक्त हूँ। पहले से कम्प्यूटर पर एफ.आई.आर. के सी.सी.टी.एस.एस. के प्रलेख फिक्स है। जब कोई एफ.आई.आर. बोलकर लिखवाता है या लिखित प्रार्थना पत्र देता है तो उसी हिसाब से हम टाईप कर देते है। एफ.आई.आर. पर जो हमने टाईप की है उसपर दिनांक व समय अंकित नहीं है। यह बात सही है कि हम थाना प्रभारी के अधीन है। यह बात भी सही है कि हम उनके आदेशो का पालन करते है हम तहरीर के हिसाब से टाईप करते है। हमे केवल फर्द दी गई थी तहरीर बोलकर व लिखित में नहीं दी गई थी। यह कहना गलत है कि मैने उपरोक्त एफ.आई.आर. एन्टी डेट व एन्टी टाईम लिखी गई हो। मुझे याद नहीं कि इसके पहले व इसके बाद कौन से अपराध की तहरीर लिखी गई।

16. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरांत अभियुक्त जुनैद का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0 प्र0 सं0 अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन कथानक से इंकार करते हुए मुकदमा गलत दर्ज किये जाने व सही विवेचना न होने और आधारहीन आरोप पत्र दिये जाने एवं रंजिशन झूठा साक्ष्य दिये जाने व उसके विरूद्ध मुकदमा रंजिशन झूठा चलने का कथन किया है। अभियुक्त ने स्वंय का निर्दोष होने का कथन करते हुये सफाई साक्ष्य न दिये जाने का कथन किया गया है।

17. बचाव पक्ष की ओर से सफाई में कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है।

18. मैंने अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवम् विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के विद्वता पूर्ण तर्क को विस्तारपूर्वक सुना तथा पत्रावली पर विद्यमान सम्पूर्ण साक्ष्यों का गहनता से परिशीलन किया।

19. अभियोजन की ओर से तर्क दिया गया है कि अभियुक्त ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर किये, जिससे पुलिस बल बाल–बाल बचे अन्यथा उनमें से किसी की मृत्यु हो जाती तथा अभियुक्त को पुलिस द्वारा पकड़ा गया, जिसमें अभियुक्त से एक

पिस्टल 32 बोर मय 5 जिन्दा कारतूस व 2 खोखा कारतूस बरामद हुए। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध अत्यंत गंभीर प्रकृति का है एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप साबित है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध कर दण्डित किया जाये।

20. बचाव पक्ष द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगण के साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध कोई अपराध साबित नहीं होता है। अभियुक्त के विरूद्ध झूठा मुकदमा लिखाया गया है। अभियुक्त के द्वारा कारित अपराध का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। अभियोजन साक्षीगण के बयानों में घोर विरोधाभास है। अभियुक्त निर्दोष है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाये।

21. आपराधिक विधि का यह महत्वपूर्ण सिद्धान्त है कि किसी आपराधिक वाद में अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप में दोषसिद्धि हेतु अभियोजन पक्ष का यह दायित्व है कि वह अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करें। अतः हस्तगत वाद में यह देखना है कि अभियोजन पक्ष ने अपने इस दायित्व का निर्वहन किस सीमा तक किया है।

22. बचाव पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियुक्त निर्दोष है, उसने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से कोई फायर नहीं किया और न ही कथित घटना में किसी पुलिसकर्मी को कोई चोट आयी है। अभियुक्त से तमंचे व कारतूसों की फर्जी बरामदगी दर्शायी गयी है।

उक्त तर्कों के संदर्भ में पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया। फर्द पुलिस मुठभेड़ व बरामदगी प्रदर्श क–1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस द्वारा अभियुक्त को यार्ड से 60 कदम शाहपुर की सड़क पर गिरफ्तार किया गया। फर्द में यह भी अंकित किया गया है कि बदमाशों को रोशनी दिखाकर रूकने का इशारा किया तो मोटरसाइकिल सवार मोटरसाइकिल मोडने का प्रयास करने लगे और वही गिर गये तथा मोटरसाईकिल पर पीछे बैठे व्यक्ति ने अपनी अन्टी से एक पिस्टल निकालकर जान से मारने की नियत से पुलिस वालों पर फायर किया। मौके पर दो अभियुक्तगण की गिरफ्तारी दिखायी गयी है जिनमें से एक के पास पिस्टल 32 बोर, 5 जिन्दा कारतूस व दो खोखे कारतूस व दूसरे के पास तमंचा 315 बोर व 3 अदद कारतूस जिन्दा 315 बरामद होना दिखाया गया है। घटनास्थल पर वादी मुकदमा के साथ एस.आई. योगेन्द्र सिंह, कां. नवीन, कां. अंकुर मलिक, कां. रोमिश तोमर, पी.सी. सुनील कुमार, कां. विकास धामा, कां. विकास सिरोही, कां. विवेक पंवार, कां. जोशी राणा व ड्राईवर सुरेन्द्र राठी का होना फर्द बरामदगी में अंकित है, इस प्रकार मौके पर कुल 11 पुलिस कर्मी थे, जिन्होंने अभियुक्त व उसके सहअभियुक्त को रोका और फर्द अनुसार, रोकने पर अभियुक्त द्वारा उनपर जान से मारने की नीयत से फायर करना कथित है, लेकिन

इतने पास से फायर करने के बावजूद किसी भी पुलिस कर्मचारी को न तो गोली लगी और न ही पुलिस कर्मचारियों द्वारा अभियुक्तगण द्वारा फायरिंग होने के बाद सशस्त्र होते हुये भी किसी के द्वारा अपने रक्षार्थ या अभियुक्तगण को डराने के लिये मौके पर कोई फायर किया गया। अभियुक्त व उसके सहअभियुक्त को भी कथित मुठभेड़ में कोई चोट नहीं आयी है, अभियुक्त व उसके सहअभियुक्त द्वारा कितने फायर किये गये, यह किसी भी साक्षी के बयानों से स्पष्ट नहीं है। अभियोजन साक्षी पी.डब्लू. 01 वादी मुकदमा निरीक्षक राकेश कुमार, अभियोजन साक्षी पी.डब्लू. 02 हमराही एस.आई योगेन्द्र सिंह व अभियोजन साक्षी पी.डब्लू. 03 हमराही कां. अंकुर मलिक द्वारा अपने साक्ष्य में अभियुक्त व उसके सहअभियुक्त द्वारा कितने फायर किये गये इस संबंध में कोई कथन नहीं किया है। अभियोजन साक्षी पी.डब्लू. 03 ने अपनी जिरह में जुनैद ने जब गोली चलाई तब पुलिस वालो के 10–12 कदम पर होने तथा कोई आड़ न होने का कथन किया गया है। ऐसे में यदि अभियुक्तगण पुलिस कर्मियों के रोकने पर उन पर फायर करते तो अवश्य ही किसी न किसी पुलिस कर्मी को चोट लगती। इसके अतिरिक्त पुलिस बल एवं अभियुक्तगण के बीच कोई आड़ या दीवार हो, ऐसा अभियोजन का कथन नहीं है तथा पत्रावली पर उपलब्ध नक्शानजरी प्रदर्श क–2 में भी घटनास्थल अभियुक्तगण की गिरफ्तारी स्थल एवं पुलिस बल के बीच कोई दीवार दर्शित नहीं है। अभियुक्त व उसके साथी द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर करने पर पुलिस बल जोकि सशस्त्र थे, अपने आत्मरक्षार्थ फायर भी अवश्य फायर करते। उपरोक्त विश्लेषण के प्रकाश में अभियोजन के इस कथन में संदेह उत्पन्न होता है कि अभियुक्त की मंशा पुलिस बल को जान से मारने की थी।

23. बचाव पक्ष द्वारा दौराने बहस कथन किया गया कि हस्तगत मामले में जनता का कोई साक्षी न तो लिया गया है और न ही लेने का प्रयास किया गया, जबकि घटनास्थल एक सार्वजनिक स्थान बताया गया है। इस मामले में विवेचक भी पुलिस कर्मचारी है वादी मुकदमा अन्य साक्षी भी पुलिस कर्मचारी है विवेचक ने निष्पक्ष विवेचना न कर समस्त कार्यवाही थाने पर बैठकर की गयी है तथा इस प्रकरण में केवल पुलिसकर्मी ही साक्षी हैं और हितबद्ध साक्षी होने के कारण उनकी साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है।

इस संदर्भ में माननीय सर्वोच न्यायालय की विधिव्यवस्था **ताहिर बनाम राज्य (दिल्ली) 1996 3 एस.सी.सी. 338** का उल्लेख यहां पर प्रासंगिक है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि पुलिस अधिकारी की साक्ष्य को केवल इसलिए नही नकारा जा सकता कि वह पुलिसकर्मी हैं और उनकी साक्ष्य के विश्वसनीय पाए जाने पर दोषसिद्धि भी की जा सकती है किन्तु माननीय न्यायालय द्वारा यह भी पाया गया कि विवेक के नियम के अनुसार पुलिस वालो की साक्ष्य की जांच अधिक सावधानी के साथ की जानी चाहिए, क्योंकि वह

मुकदमे के परिणाम के प्रति रुचि रख सकते हैं। इसलिए जहां पर केवल पुलिस वालो की साक्ष्य है वहां पर उसके मूल्यांकन में अधिक सावधानी की आवश्यकता है।

यहां पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **अप्पा भाई बनाम गुजरात राज्य ए0आई0आर0 1988 एस0सी0 696** का उल्लेख आवश्यक है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि स्वतंत्र साक्षी न होना किसी प्रकरण में दोषमुक्ति का एकमात्र आधार नहीं हो सकता।

24. बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत उक्त तर्क के संदर्भ में पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया। फर्द बरामदगी प्रदर्श क–1 में अंकन है कि रास्ते में आने जाने वाले व्यक्तियों से गवाही के लिये कहा गया तो भलाई बुराई व डर के कारण कोई गवाही के लिये तैयार नहीं हुआ, इस संबंध में अभियोजन साक्षी पी.डब्लू. 01 जो हस्तगत मामले में वादी मुकदमा है द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में मौके पर जनता के गवाह लेने की काफी कोशिश की गई, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ, का कथन किया है तथा अपनी प्रतिपरीक्षा में भी उक्त साक्षी ने स्पष्ट कथन किया कि पब्लिक का कोई गवाह साथ नहीं ले गये थे तथा कोई गवाह गवाही के लिये तैयार नहीं हुआ। उक्त साक्षी की प्रतिपरीक्षा के अग्रिम स्तर से यह भी स्पष्ट है कि घटनास्थल पर जो लोग आये थे उन्होंने उनके नाम पते नहीं पूछे थे तथा गवाह वहलना चौक व घटनास्थल पर ढूंढे थे अन्य कही नहीं ढूंढे। अपनी प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्षी ने स्वयं स्वीकार किया कि घटनास्थल चलने वाला रास्ता है काफी लोग आते जाते रहते है तथा जब फायरिंग हुई तब 10–20 लोग मौके पर आ गये थे वह कौन लोग थे उनके नाम पते नहीं पूछे थे। उक्त के विपरीत अभियोजन साक्षी पी.डब्लू. 02 एस.आई. योगेन्द्र सिंह जो वादी मुकदमा का हमराही कथित है ने अपनी प्रतिपरीक्षा में ज्यादा भीड़ भाड़ न होने व एक दो सवारिया खड़ी होने, का कथन किया है। इसके साथ ही अभियोजन साक्षी पी.डब्लू. 03 कां. अंकुर मलिक जो हमराही साक्षी अभिकथित है ने भी अपनी प्रतिपरीक्षा में घटनास्थल का रास्ता चलता हुआ होने व घटनास्थल पर घटना के समय ज्यादा लोग न आने व लोगों के आने जाने और रोकने का प्रयास करने पर न रूकने का कथन किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध नक्शानजरी प्रदर्श क–2 में चिन्ह B से अभियुक्तगण को गिरफ्तार किये जाने का स्थान दर्शित है जिसके आसपास खेत, शुगर मिल व ट्रैक्टर/ट्रक यार्ड दर्शित है। फर्द बरामदगी प्रदर्श क–1 में गिरफ्तारी का समय 19.30 बजे बताया गया है ऐसे में कथित गिरफ्तारी/बरामदगी जोकि सड़क पर जोकि एक आम रास्ता दर्शित है, में दबिश से पूर्व ही पुलिसबल को जनता के स्वतंत्र साक्षी एकत्र करने का प्रयास करना चाहिये था। पत्रावली पर उपलब्ध फर्द बरामदगी प्रदर्श क–1 में अंकित तथ्य कि रास्ते आने जाने वाले व्यक्तियो से गवाही के लिये कहा गया तो भलाई बुराई व डर के कारण कोई गवाही के लिये तैयार नहीं हुआ। इस संबंध में पुलिस बल द्वारा किन व्यक्तियों से गवाही के

लिये कहा गया, उनके नाम और यदि मना किया गया तो मना करने पर उनके विरूद्ध कोई विधिक कार्यवाही की गयी हो, इस संबंध में भी पत्रावली पर कोई साक्ष्य नहीं है। अतः यहां पर माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली की विधि व्यवस्था **अनूप जोशी बनाम राज्य 1999 (2) सी0सी0 केसेज 314 (उच्च न्यायालय)** महत्वपूर्ण है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि ऐसे मामलों में पुलिस को यह प्रदर्शित करना आवश्यक है कि उनके द्वारा स्वतंत्र गवाहों को शामिल करने के ईमानदारी से प्रयास किए गए।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **शीला शैबिस्च्यिन बनाम आ0 ज्वाहर राज्य एवं अन्य 2018 (2) सी0सी0एस0सी0 1126 एस0सी0** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अन्वेषण अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों के प्रति, अन्वेषण करते समय तत्पर होने की प्रत्यासा की जाती है, कि उसे निष्पक्ष होना चाहिये, पारदर्शी होना चाहिये, उसका मात्र प्रयास सच का पता लगाना ही होना चाहिये। अंसतुलित अन्वेषण में कमियां मूल तक जाती है और अभियोजन मामले के लिये घातक है।

25. बचाव पक्ष की ओर से एक अन्य तर्क यह प्रस्तुत किया गया कि पुलिस पार्टी की रवानगी के संबंध में कोई प्रपत्र पत्रावली पर नहीं है जिससे पुलिस पार्टी की घटनास्थल पर उपस्थिति तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी झूठी है।

इस संबंध में हस्तगत मामले में पत्रावली पर प्रदर्श क–1 फर्द बरामदगी है, जिसे पी.डब्लू. 01 वादी मुकदमा निरीक्षक राकेश कुमार द्वारा साबित किया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में दिनांक 13.02.2017 को मय हमराहीगण रपट नंबर 6 समय 13.00 बजे रवाना होने तथा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त को समय करीब 19.30 बजे गिरफ्तार करने का कथन किया है। उक्त साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में मेरठ से रवानगी की जी.डी. पत्रावली पर मौजूद न होने का स्पष्ट कथन किया गया है। इसके साथ ही हमराही साक्षी पी.डब्लू. 02 ने भी अपनी प्रतिपरीक्षा में जी.डी. की रवानगी पत्रावली पर न होने का स्पष्ट कथन किया है। हस्तगत मामले के एक अन्य हमराही साक्षी पी.डब्लू. 03 ने भी अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट कथन किया कि उसे जानकारी नहीं है रवानगी जी.डी. पत्रावली पर है या नहीं। इसके अतिरिक्त रवानगी जी.डी. के संबंध में पत्रावली पर कोई अभिलेख भी नहीं है, जबकि वादी मुकदमा की मुख्य परीक्षा के अनुसार पुलिस बल तलाश इनामी अपराधी निकले थे। ऐसे में रवानगी जी.डी. एक महत्वपूर्ण प्रपत्र है जिसका पत्रावली पर न होना घटना को सन्देहास्पद बनाता है।

इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट है कि पुलिस पार्टी के थाने से रवानगी के संबंध में पत्रावली पर कोई साक्ष्य नहीं है जिससे पुलिस पार्टी की थाने से रवानगी तथा मौके पर उपस्थिति संदिग्ध हो जाती है।

माननीय न्यायालयों की निम्न विधि व्यवस्थाएं इस संबंध में महत्वपूर्ण हैः–

निर्णय विधि **रामपाल सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य 2005 (2) ए.सी.आर. 1988** के मामले में यह अवधारित किया गया है कि "इस संबंध में ऐसे प्रस्थान की सुसंगत प्रविष्टि सामान्य दैनिन्दनी (जी.डी.) के अन्तर्गत की जानी चाहिये और अभियोजन के द्वारा विचारणीय न्यायालय के समक्ष साक्ष्य में उक्त जी.डी. के उद्धरण को साबित किया जाना चाहिये। यदि अभियोजन मामले के ऐसे महत्वपूर्ण भाग को प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो मामले का मूल आधार और अभियोजन संरचना ही समाप्त हो जायेगी।"

निर्णय विधि **श्रीराम एवं अन्य बनाम स्टेट आफ यू0पी0 2005 (52) पृष्ठ 458** पर मुद्रित व्यवस्था में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि यदि जी0डी0 रवानगी अभियोजन पक्ष द्वारा सिद्ध नही की जाती है तो ऐसी स्थिति दल में घटनास्थल पर पुलिस पार्टी की उपस्थिति व पुलिस की घटनास्थल के लिए रवानगी व मौके पर उपस्थिति संदेहास्पद हो जाती है।

निर्णय विधि मथुरा प्रसाद मिश्र बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 2005 सी0बी0सी0 220 इलाहाबाद में यह निर्धारित किया गया है कि पुलिस की घटनास्थल पर उपस्थिति को सुनिश्चित करने हेतु रवानगी जी0डी0 महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसमें यह भी पाया जाता है कि अभियोजन पुलिस पार्टी की घटनास्थल पर उपस्थिति व अभियुक्त की गिरफतारी को साबित करने में असफल रहा है।

26. बचाव पक्ष अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि पुलिस द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी 19.30 बजे की दर्शित है जबकि मुकदमा समय 21.15 पर पंजीकृत हुआ है। अभियोजन साक्षियों द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी व फर्द बरामदगी तैयार कर उसके विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत करने के संबंध में दिये गये साक्ष्य से भी उक्त घटना का झूठी साबित होती है।

उक्त तर्क के परिप्रेक्ष्य में फर्द बरामदगी प्रदर्श क–1 में अभियुक्त को समय करीब 19.30 बजे शाहपुर की ओर सड़क पर पकडना अंकित है। पी.डब्लू. 01 वादी मुकदमा द्वारा अपनी मुख्य्य परीक्षा में अभियुक्त को समय 19.30 बजे पकड़ना बताया है तथा अपनी प्रतिपरीक्षा में मौके पर फर्द तैयार करने में 2–3 घन्टे लगने का कथन किया गया है। वादी हमराही साक्षी पी.डब्लू. 03 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में फर्द मौके पर लिखाने व फर्द लिखने में लगभग दो घन्टे लगने का कथन किया है। यदि अभियुक्त को समय 19.30 बजे पकड़ा गया और फर्द लिखने में 2–3 घण्टे लगे, ऐसे में अभियुक्त को 22.30 बजे के बाद ही थाने पर ले जाया गया होगा। इस प्रकार यदि अभियुक्त को 19.30 बजे पकड़ा गया तथा फर्द तैयार करने में 2–3 घण्टे लगे तो अभियुक्त को थाने पर ले जाकर समय 21.15 बजे उसके विरूद्ध मुकदमा

पंजीकृत कराना, पुलिस द्वारा घटनास्थल से अभियुक्त की गिरफ्तारी व उससे बरामदगी एवं पुलिस की कार्यवाही के संबंध में संदेह उत्पन्न करता है।

27. अभियुक्त अधिवक्ता की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी की संपूर्ण कार्यवाही थाने पर बैठकर की गयी है। पी.डब्लू. 01 वादी मुकदमा ने अपनी मुख्य परीक्षा में मुलजिमान को थाने पर लाकर अन्दर हवालात बन्द कर माल मुकदमा थाने में माल खाने में जमा करने का कथन किया है। अभियोजन साक्षी पी.डब्लू. 02 द्वारा भी अपनी प्रतिपरीक्षा में वादी मुकदमा एस.आई राकेश कुमार द्वारा मय माल व मुलजिमान के थाने पर आकर अभियोग पंजीकृत कराने का कथन किया गया है, परंतु अभियोजन साक्षी पी.डब्लू. 01 वादी मुकदमा ने अभियुक्त की गिरफ्तरी समय 19.30 बजे होना बताई है तथा अपनी प्रतिपरीक्षा में फर्द तैयार करने में 2–3 घन्टे लगने थे का स्पष्ट कथन किया है, परंतु पत्रावली पर उपलब्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियुक्त व उसके सहअभियुक्त के विरूद्ध अभियोग 21.15 बजे दर्ज कराया गया है, जो पुलिस की कार्यवाही में संदेह उत्पन्न करता है। उक्त के आधार पर भी अभियुक्त से कथित बरामदगी व गिरफ्तारी की घटना संदेह उत्पन्न करती है।

इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि अभियोजन साक्षी पी.डब्लू. 01 वादी मुकदमा, हमराही साक्षीगण पी.डब्लू. 02 एस.आई. योगेन्द्र सिंह एवं पी.डब्लू. 03 कां. अंकुर मलिक के साक्ष्य से अभियोजन कथानक का समर्थन न होने, जी.डी. रवानगी पत्रावली पर न होने तथा घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी न होने से अभियोजन को अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 307 भा.दं.सं. के संबंध में कोई बल प्राप्त नहीं होता।

28. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी.डब्लू. 04 एस.आई. अनित कुमार प्रश्नगत प्रकरण के विवेचक है तथा इनके द्वारा नक्शानजरी को प्रदर्श क–2, डी.एम. अनुमति को प्रदर्श क–3, आरोप पत्र को प्रदर्श क–4 व प्रदर्श क–5 के रूप में साबित करते हुये मात्र औपचारिक साक्ष्य दी है तथा इस साक्षी ने तथ्य के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नही दी है।

इस प्रकार उक्त साक्षी जो मात्र औपचारिक साक्षी है के साक्ष्य से अभियोजन पक्ष को अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपो को संदेह से परे साबित करने में कोई बल प्राप्त नहीं होता है।

29. अभियोजन की ओर से पी0 डब्लू0–5 के रूप में कां0 1582 राजकुमार को परीक्षित कराया गया है तथा इस साक्षी ने अपने सशपथ बयानों में वादी मुकदमा की फर्द बरामदगी के आधार पर दर्ज एफ.आई.आर. को प्रदर्श क–06 व प्रदर्श क–08 व जी.डी. को प्रदर्श क–07 के रूप में साबित करते हुये औपचारिक साक्ष्य दिया है तथा तथ्य के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नहीं दी है।

इस प्रकार अभियोजन के उक्त औपचारिक साक्षी के साक्ष्य से भी अभियोजन पक्ष को अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपो को संदेह से परे साबित करने में कोई बल प्राप्त नहीं होता है।

इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विश्लेषण तथा माननीय न्यायालय की उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के परिप्रेक्ष्य में अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 307 भा.दं.सं. को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

30. अब अभियुक्त जुनैद के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम पर विचारण किया जाना न्यायोचित होगा।

उक्त के संबंध में फर्द बरामदगी प्रदर्श क–1 का अवलोकन किया, जिसमें वादी मुकदमा एस.आई. राकेश कुमार व उसके हमराहीगण द्वारा दिनांक 13.02.2017 को मुखबिर की सूचना पर शाहपुर की ओर सड़क पर अभियुक्त जुनैद को मय एक पिस्टल 32 बोर, 05 जिन्दा कारतूस व दो खोखे कारतूस पकड़ना अंकित है। अभियोजन साक्षी पी.डब्लू. 01 निरीक्षक राकेश कुमार जो आयुध अधिनियम के वादी मुकदमा है, जिनकी फर्द बरामदगी के आधार पर उक्त मुकदमा पंजीकृत हुआ है ने अपनी मुख्य परीक्षा में दिनांक 13.02.2017 मुखबिर की सूचना पर शाहपुर की ओर सड़क पर अभियुक्त जुनैद को पकड़ना तथा उसकी जामातलाशी से एक पिस्टल 32 बोर, मैगजीन से 5 जिन्दा कारतूस व सड़क पर दो खोखा कारतूस बरामद होने का कथन किया है। उक्त साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि पब्लिक का कोई गवाह साथ नहीं लाये थे तथा कोई गवाह गवाही के लिये तैयार नहीं हुआ था, घटनास्थल पर जो लोग आये थे उनके नाम पते उसने नहीं पूछे थे गवाहों के नाम पते उन्होंने नहीं पूछे थे। उक्त साक्षी की प्रतिपरीक्षा के अनुसार जब फायरिंग हुई तब 10–20 लोग मौके पर आ गये थे वह कौन लोग थे उनके नाम पते नहीं पूछे थे घटनास्थल चलने वाला रास्ता है काफी लोग आते जाते रहते है। पी.डब्लू. 03 की मुख्य परीक्षा के अनुसार जनता के गवाह लेने का प्रयास किया था लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। उक्त साक्षी की प्रतिपरीक्षा के अनुसार उक्त घटना में पब्लिक का कोई गवाह नहीं है, घटनास्थल के पश्चिम की तरफ गेहू के खेत थे पूरब उत्तर दक्षिण में क्या था अब याद नहीं है। यह बात सही है कि जब फायरिंग हुई तो वहां से पब्लिक के लोग आ जा रहे थे।

31. बचाव पक्ष की ओर से उक्त के संबंध में यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर नहीं किया गया, न ही अभियुक्त से किसी प्रकार के असलाह की बरामदगी हुई है कथित बरामदगी झूठी है तथा अभियोजन की ओर से कथित बरामद तमंचे से

न तो कोई फिंगर प्रिन्ट लिये गये, न ही तमंचे व कारतूसों को विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया और न ही उक्त तमंचे के चालू हालत में होने के संबंध में कोई रिपोर्ट पत्रावली पर है।

बचाव पक्ष के उक्त तर्क के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियोजन द्वारा अभियुक्त का मौके पर जान से मारने की नीयत से फायर करना कहा गया है लेकिन मौके पर फायर हुआ है इसका कोई सबूत अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया। अभियोजन की ओर से अभियुक्त द्वारा दो फायर करना व मौके से दो खोखे बरामद होने का कथन है, परंतु उक्त खोखे कथित बरामद तमंचे से फायर करने के ही है, के संबंध में अभियोजन की ओर से कोई एफ.एस.एल. रिपोर्ट पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं की गयी है। इसके साथ ही उक्त तमंचा चालू हालत में था और उससे फायर किया जा सकता था या बरामद खोखा कारतूस उसी तमंचे से फायर किया गया था, इस संबंध में भी विधि विज्ञान प्रयोगशाला की कोई रिपोर्ट पत्रावली पर नहीं है, यहां तक कि किसी आर्मर की रिपोर्ट भी पत्रावली पर नहीं है कि कथित रूप से बरामद तमंचा चालू हालत में था। अभियोजन साक्षी पी.डब्लू. 01 ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर करने तथा पुलिस द्वारा उनको पकड़े जाने पर उसके कब्जे से एक पिस्टल 32 बोर, 5 जिन्दा कारतूस 32 बोर व दो खोखा कारतूस बरामद होने का कथन किया है। उक्त साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में पब्लिक का कोई गवाह साथ नहीं ले गये व कोई गवाह गवाही के लिये तैयार नहीं हुआ व पुलिस कर्मचारी को कोई चोट नहीं आई न ही मुलजिमान को कोई चोट आई का स्पष्ट कथन किया गया है। पी.डब्लू. 02 द्वारा भी अपनी प्रतिपरीक्षा में पुलिस के द्वारा भी कोई गोली नहीं चली थी का स्पष्ट कथन किया गया है। अभियोजन साक्षी पी.डब्लू. 03 द्वारा भी अपनी प्रतिपरीक्षा में घटना से कोई भी पुलिस कर्मी घायल नहीं हुआ का स्पष्ट कथन किया गया है। इसके साथ ही यहां अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षीगण द्वारा अपनी साक्ष्य में घटनास्थल से पर दो खोखे बरामद होने का कथन किया गया है, परंतु उक्त खोखे बरामद पिस्टल से किये गये फायर के हो उक्त के संबंध में कोई एफ.एस.एल. आख्या पत्रावली पर नहीं है।

32. बचाव पक्ष अधिवक्ता की ओर से यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि नक्शानजरी में आसपास दर्शित स्थल व अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षीगण के साक्ष्य में घटनास्थल के आसपास के स्थल में भिन्नता है, जिससे कथित घटनास्थल झूठा साबित होता है।

बचाव पक्ष के उक्त तर्क के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध नक्शानजरी प्रदर्श क–2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि नक्शानजरी प्रदर्श क–2 में चिन्ह B से मुलजिम को पकड़ने का स्थान दर्शित है तथा घटनास्थल के उत्तर में खेत व दक्षिण में खेत और शुगर मिल, ट्रैक्टर/ट्रक यार्ड दर्शित है एवं पूरब–पश्चिम सड़क दर्शित है। अभियोजन की ओर से परिक्षित

साक्षी पी.डब्लू. 02 जो वादी मुकदमा का हमराही साक्षी अभिकथित है ने अपनी प्रतिपरीक्षा में पूरब में खेत, पश्चिम में नाला व खेत, उत्तर–दक्षिण सड़क होने का कथन किया, जो नक्शानजरी के बिल्कुल विपरीत है। वादी हमराही साक्षी पी.डब्लू. 03 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में घटनास्थल के पश्चिम की तरफ गेहू के खेत तथा पूरब व उत्तर–दक्षिण में क्या–क्या था याद न होने का कथन किया है। इस प्रकार नक्शानजरी व अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य में घटनास्थल के आसपास की स्थिति के संबंध में गंभीर विरोधाभास है। उक्त से भी पुलिस पार्टी की अभियुक्त से कथित असलाह की बरामदगी संदिग्ध हो जाती है।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट है कि अभियुक्त जुनैद से कथित रूप से बरामद एक पिस्टल व कारतूसों के सम्बन्ध में पत्रावली पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला की कोई परीक्षण आख्या इस आशय की नहीं है कि कथित बरामदशुदा तमंचा बरामदगी के समय चालू हालत में रहा हो, इसके अलावा किसी भी साक्षी ने ऐसा कोई कथन भी नहीं किया है कि बरामदशुदा पिस्टल को उनके द्वारा चलाकर देखा गया था और वह चालू हालत में था। ऐसी परिस्थिति में कथित बरामदशुदा पिस्टल को चालू हालत में होना नहीं माना जा सकता है। अभियोजन द्वारा कथित बरामदगी के सम्बन्ध में जनता के किसी स्वतंत्र व्यक्ति को फर्द बरामदगी में साक्षी दर्शित नहीं किया गया है और न ही किसी स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित ही कराया गया है, जबकि नक्शानजरी बरामदगी एवं साक्षीगण की साक्ष्य में घटनास्थल आम रास्ता अभिकथित है। नक्शानजरी में आसपास दर्शित स्थल के संबंध में साक्षीगण के मौखिक साक्ष्य में एवं नक्शानजरी में गंभीर विरोधाभास है। इसके साथ ही अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य में थाने से घटनास्थल पर रवानगी के संबंध भी गंभीर विरोधाभास है। अभियोजन द्वारा किसी स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित न कराए जाने से अभियुक्त से पिस्टल 32 बोर, कारतूस व घटनास्थल से खोखे कारतूस की बरामदगी विधिक रूप से प्रमाणित नहीं मानी जा सकती है। इस प्रकार अभियुक्त के विरूद्ध आयुध अधिनियम के अन्तर्गत अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं है।

अतः अभिलेख पर विद्यमान तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं उपरोक्त विधि व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये अभियोजन पक्ष अभियुक्त जुनैद के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है।

33. आपराधिक न्यायशास्त्र में अभियुक्त की निर्दोषता की उपधारणा की जाती है जब तक कि विधि के अन्तर्गत इसके विपरीत कोई अन्य उपधारणा न हो तब तक अभियोजन पक्ष को मामले को संदेह से परे साबित करना आवश्यक होता है।

इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **राजाराम मारूथाचलम 2023(1)सी.सी.एस.सी. 420 (एस.सी.)** मे यह अभिनिर्धारित किया गया है कि

दाण्डिक मामलों मे न्याय निर्णयन इस सिद्धान्त पर आधा[रित होता है कि अभियुक्तगण के विषय में निर्दोष हैोने की उपधारणा की जाती है और अभियुक्तगण का दोषी होना पूर्णतया साबित किया जाना चाहिये और समस्त साक्ष्य युक्तियुक्त संदेह से परे साबित होना चाहिये।

34. The H'ble Apex Court held in Jai Prakash Tiwari vs State of M.P. A.I.R.2022 S.C. 3601 (Three Judges Bench) it is an established principle of criminal law that burden of proving the guilt of the accused reasonable doubt is upon the prosecution.

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **स्टेट आफ राजस्थान बनाम शीशपाल ए0आई0आर0 2016, सुप्रीम कोर्ट पृष्ठ 4958 एवं खेखराम बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, 2018(1)जे.आई.सी. पेज 207 एस.सी.** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आपराधिक विधि शास्त्र का यह मूलभूत सिद्धान्त है कि अभियोजन को अपना मामला अभियुक्तगण को दोषसिद्ध करने हेतु सभी तर्क संगतपूर्ण संदेह से परे साबित करने होंगे। अपने मामले को तर्क पूर्ण संदेह से परे साबित करने का भार हमेशा अभियोजन पर होता है और यह भार कभी नहीं बदलता।

35. इस प्रकार उपरोक्त मामले में की गयी सम्पूर्ण विवेचना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य एवं उक्त सम्मानित विधि व्यवस्थाओं के आधार पर अभियोजन पक्ष सत्र परीक्षण संख्या 1400/2017 में अभियुक्त जुनैद के विरूद्ध धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अतः अभियुक्त जुनैद संदेह का लाभ देते हुए उपरोक्त आरोपों से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

36. सत्र परीक्षण संख्या–1005/2018 में अभियोजन पक्ष अभियुक्त जुनैद के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम को भी युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त जुनैद संदेह का लाभ देते हुये उपरोक्त आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

सत्र परीक्षण संख्या–1400/2017 में अभियुक्त जुनैद को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

हस्तगत मामले में अभियुक्त जुनैद जेल में निरूद्ध है। अतः अभियुक्त जुनैद का रिहाई परवाना अविलम्ब जिला कारागार मुजफ्फरनगर/संबंधित जेल प्रेषित किया जाए। अभियुक्त जुनैद के किसी अन्य मामले में निरूद्ध न होने पर कारागार अधीक्षक अविलम्ब उसकी रिहाई सुनिश्चित करे।

सत्र परीक्षण संख्या–1005/2018 अन्तर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम के आरोप से अभियुक्त जुनैद को दोषमुक्त किया जाता है।

हस्तगत मामले में अभियुक्त जुनैद जेल में निरूद्ध है। अतः अभियुक्त जुनैद का रिहाई परवाना अविलम्ब जिला कारागार मुजफ्फरनगर/संबंधित जेल प्रेषित किया जाए। अभियुक्त जुनैद के किसी अन्य मामले में निरूद्ध न होने पर कारागार अधीक्षक अविलम्ब उसकी रिहाई सुनिश्चित करे।

जेल से रिहा होने की स्थिति में एक सप्ताह के भीतर अभियुक्त द्वारा धारा 437(क) दं.प्र.सं. के प्राविधानों के अन्तर्गत, अन्दर 07 दिवस, अंकन 1,00,000/– रूपये की दो–दो जमानते एवं इतनी ही धनराशि का निजी बंधपत्र इस आशय का दाखिल करे कि यदि इस निर्णय के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अपील की जाती है तो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर वह स्वंय उपस्थित होगा।

माल मुकदमाती बाद मियाद अपील अथवा अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार नियमानुसार निस्तारित की जाये।

उपरोक्त निर्णय/आदेश की एक प्रतिलिपि सत्र परीक्षण संख्या–1005/2018 अन्तर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम की पत्रावली पर भी रखी जाए।

(**ज्योति सिंह**)
दिनांकः–13.08.2026 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–06,
मुजफ्फरनगर।

उपरोक्त निर्णय व आदेश आज मेरे द्वारा अभियुक्त जुनैद को जो बिजनौर जेल से जरिये वी.सी. उपस्थित है खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित होकर उद्घोषित किया गया। इस निर्णय की एक प्रतिलिपि अभियुक्त जुनैद को नियमानुसार जरिये वीडियों कान्फ्रेंसिग उपलब्ध करायी जाये।

(**ज्योति सिंह**)
दिनांकः–13.08.2026 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–06,
मुजफ्फरनगर।